अनुलग्नक - 1

उत्तर प्रदेश शासन

भाषा अनुभाग-1
संख्या: 131/21-1-96-1(14)/92
लखनऊ: दिनांक 7 फरवरी, 1996

अधिसूचना

.....

सिन्धी भाषा और उसके साहित्य का परिरक्षण, प्रोत्साहित और विकास करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी की स्थापना हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश देते हैं :-

(1) सिन्धी अकादमी के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री तथा मैं राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल होंगे ।

(2) प्रमुख सचिव भाषा अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे ।

(3) विशेष सचिव भाषा अकादमी के निदेशक होंगे ।

(4) सिन्धी भाषा के विकास में रुचि रखने वाला व्यक्ति अकादमी का सचिव होगा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, और जो शासन द्वारा नामित किया जायेगा श्री एन0 के0 केवलरमानी को अकादमी का प्रथम सचिव नामित किया जाता है ।

(5) सिन्धी अकादमी का संगम ज्ञापन एवं नियमावली शासन के अनुमोदनोपरान्त सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करायी जायेगी ।

डा0 इन्दु प्रकाश रेरन
प्रमुख सचिव (भाषा)

संख्या: 131(1)/21-1-96-1(14)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0 प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु ।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ सिंह)
विशेष सचिव

संख्या: 131(2)/21-1-96-1(14)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0 प्र0 सचिवालय ।
2- महालेखाकार उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी उ0 प्र0 ।
5- निदेशक, हिन्दी संस्थान उ0 प्र0 लखनऊ
6- निदेशक, उ0 प्र0 संस्कृत अकादमी लखनऊ
7- अध्यक्ष, उर्दू अकादमी लखनऊ
8- अध्यक्ष, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी, लखनऊ
9- अध्यक्ष हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद

पृष्ठ/2...

10- [illegible] नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी ।

11- निदेशक, भारतीय भाषा केन्द्र, लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून ।

12- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ

13- निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र ।

14- निदेशक, दूरदर्शन लखनऊ केन्द्र ।

15- [illegible] ।

16- [illegible] निदेशक, फर्म्स एवं सोसाइटीज उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ सिंह)
विशेष सचिव

[illegible]

[illegible]-2